कार्यालय प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)
निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल– 462023
फोन आफिस 0755–2588377–फैक्स–2589821

क्रमांकः प्र.सं./म.क्षे./वाणि.–एक/1146 भोपाल, दिनांक 02/09 /2013

प्रति,

1. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे/ग्वा.क्षे.),
   म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
   भोपाल/ग्वालियर।
2. महाप्रबंधक (संचा./संधा.–शहर) वृत्त,
   म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
   ————————————

विषयः–मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013.

माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 दिनांक 30 अगस्त 2013 को अधिसूचित किया गया है एवं यह विद्युत प्रदाय संहिता म.प्र. विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.nic.in पर उपलब्ध है। सभी वृत्तों के महाप्रबंधक इसे वेवसाईट से डाऊन लोड करें एवं संभाग स्तर एवं वितरण केंद्र स्तर तक वितरण करने की व्यवस्था करें।

माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में संशोधन किये गये हैं एवं कुछ विषय नये सम्मिलित किये गये है। कृपया ''म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2013'' का अध्ययन करें और उन्हें कड़ाई से लागू किये जाने की व्यवस्था करें।

निदेशक (वाणिज्य)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल

कार्यालय प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
(मध्य प्रदेश शासन का उपकम)
निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल– 462023
फोन आफिस 0755–2588377–फैक्स–2589821

क्रमांकः प्र.सं./म.क्षे./वाणि.–एक/1297 भोपाल, दिनांक 18/09/2013

प्रति,

1. मुख्य महाप्रबंधक (भो.क्षे/ग्वा.क्षे.),
   म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
   भोपाल/ग्वालियर।
2. महाप्रबंधक (संचा./संधा.–शहर)
   म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि.,
   ..... ।

विषयः–मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013.

1. माननीय म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 दिनांक 30 अगस्त 2013 को अधिसूचित किया गया है एवं यह विद्युत प्रदाय संहिता म.प्र. विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट www.mperc.nic.in पर उपलब्ध है। सभी वृत्तों के महाप्रबंधक इसे वेवसाईट से डाऊन लोड करें एवं संभाग स्तर एवं वितरण केंद्र स्तर तक वितरण करने की व्यवस्था करें।

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 के विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 से तुलना किये जाने पर नये विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में कुछ नये विषय सम्मिलित किये गये है एवं कुछ विषयों में संशोधन किया गया है जिसके मुख्य बिंदु निम्नानुसार :–

2. अध्याय 2 के परिभाषाओं का अवलोकन करें जिसमें बिलिंग माह, बिलिंग मांग एवं वित्तीय संस्थाएं (Financial Institute-) को परिभाषित किया है जो पूर्व के सप्लाई कोड में नहीं था।

3. अध्याय 3 के कंडिका 3.4 विभिन्न संविदा मांग हेतु विद्युत प्रदाय की वोल्टेज को भी संशोधित किया है। इसी तरह विद्युत प्रदाय वोल्टेज के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्धारित संविदा मांग एवं अधिकतम संविदा मांग के मानदण्डों से विचलन हेतु अनुज्ञप्तिधारी (वितरण कंपनी) को शक्तियॉ प्रदान की हैं। अतः इस शक्तिओं को

कंपनी के डी.ओ.पी.में आवश्यक संशोधन के लिए प्रबंध संचंलाक महोदय को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण अधिकार प्रदत किये गये है।

4. अध्याय 4 में कंडिका 4.11 ऐसे प्रकरणों में जहॉ घरेलू और सिंगल फेज गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा नवीन संयोजन की स्थापना के प्रयोजन हेतु आवेदन द्वारा परिसर के विधि समस्त उपभोक्ता/उपयोगकर्ता होने का प्रमाण दिया जाना संभव न हो तो संबंधित वितरण वृत्त के प्रभारी द्वारा ऐसे प्रमाण की अर्हता को, इसके कारणों को लिखित में दर्ज कर समाप्त किया जा सकता है। विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में इसमें आंशिक संधोधन के साथ उपभोक्ता द्वारा परिसर का अधिभोग अवैध रूप से किया जा रहा है तो विद्युत संयोजन को तुरंत स्थाई प्रभाव से विच्छेदित किया जा सकेगां।

पूर्व में जारी सप्लाई कोड 2004 की कंडिका 4.31 एवं 4.32 को विलोपित कर दिया गया है परंतु उनमें कार्यवाही विनिमय 2009, ळ31–(५) में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाना होगा।

पूर्व में जारी सप्लाई कोड 2004 की कंडिका 4.39 एवं 4.42 में भार की गणना में आंशिक संशोधन किया गया है जो नवीन सप्लाई कोड 2013 की कंडिका 4.28 और 4.31 में दिया गया है। अतः निर्धारित क्षेत्रफल के आधार पर भार की गणना किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पूर्व में जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2004, 4.41 में आवासीय कालोनी के बिल्डर /ठेकेदार/समिति विस्तार की लागत सम्मिलित करते हुये। 11 के.व्ही. लाईन/डी.टी.आर./एल.टी. की लागत वहन करनी होगी तथा 33/11 के.व्ही. फीडर की लागत यदि अनुज्ञप्तिधारी (विद्युत कंपनी) द्वारा वहन की जायेगी। नवीन विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में कंडिका 4.30 के अनुसार आवासीय कालोनी भवन निर्माता/विकास कर समिति/उपभोक्ता द्वारा विस्तार कार्य की लागत म.प्र. विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग के लिए लिये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारो की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में निर्दिष्ट अनुसार वहन की जायेगी।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.41 में मौसमरोधी धातु का बक्सा (Double Compartment Neather Proof Metal Box)स्ट्रीट लाइट एवं एम.सी.बी. की स्थापना स्थानीय निकाय के व्यय पर स्थापित किया जायेगा।

सप्लाई कोड 2013 की कंडिका 4.43 जो अस्थाई विद्युत प्रदाय से संबंधित है में अस्थाई संयोजन की समयावधि को बढ़ाकर 2 से 5 वर्ष बढ़ाने के अधिकार निम्नानुसार डी.ओ.पी. में संशोधित किये गये है।

LT	400 Volt तक	SC/GM(O&M)/City)
HT	33 KV तक	ED/CE/Cgm
EHT	33 KV से अधिक	MD

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.53 के अनुसार निम्नदाब उच्च दाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में उपभोक्ता को वांछित क्षमता का पृथक ट्रांसफार्मर उपभोक्ता परिसर के भीतर स्थापित करना होगा तथा पूर्व में स्थापित ट्रांसफार्मर/निम्नदाब/उच्च दाब लाइनों संपत्ति पर दावा किये बगैर इन्हें स्वयं के व्यय पर हटाना होगा। अनुज्ञप्तिधारी यानि (वितरण कंपनी) जहॉ उचित समझे लाईनों कें अंतिम छोर पर विस्ताार के लिए ए.बी.केवल के उपयोग के लिए जोर दे सकता है। जिसका व्यय उपभोक्ता को स्वयं करना होगा।

विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 4.54/4.55 के अनुसार सामान्यतः उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय केवल उद्योगों के लिए प्रायोज्य, संभरको (Feeder) के माध्यम से ही किया जाएगा। सतत् प्रसंस्करण उद्योग (Contiunous Process Industry) धारित करने वाले उपभोक्ताओं के प्रकरणों में विद्युत प्रदाय निकटतम 33/11 के.व्ही. या अति उच्च दाब उपकेंद्र से एक पृथक संभाग के माध्यम से विद्युत प्रदाय को प्राथमिकता दी जायेगी। इसमें 3 एम.व्ही.ए. की बाध्यता समाप्त की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के प्रतिबंधों के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्तिधारी (यानि वितरण कंपनी) पर क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व न होने का एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। घोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। इसके अलावा, निष्पादित अनुबंध के अंतर्गत इस स्थिति के बारे में विशेष कंडिका के अंतर्गत इस तथ्यका उल्लेख भी किया जाना है। यह विशेष कंडिका निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में निम्नानुसार होगी :–

"The Dy. General Manager (O&M/City) Division has clarified to me that power supply over this feeder may be restricted and supply hours regulated to meet the demand of irrigation pump consumer during rabi season and supply is also liable to be curtailed or staggered during periods of power shortage and during peak load hours. I have understood the adverse effects of restricted hours of supply on my unit and I request for supply to be given from this feeder on my own responsibility."

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 4.57 में उपभोक्ता यदि चाहे तो आवश्यक पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी को कर, स्वयं निष्वसदप उपयुक्त श्रेणी के अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी (यानि वितरण कंपनी) विद्युत प्रदाय की उपलब्धता के बारे में तीन माह की सूचना उपभोक्ता को जारी करेगा पूर्व में जारी म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में यह विस्तार कार्य आवश्यक होने पर 90 दिवस एवं विस्तार आवश्यक न होने पर 30 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण किया जायेगा था।

कंडिका 4.63 के अनुसार विभिन्न सेवा संयोजनों के उपभोक्ता को सेवा संयोजनों में उपभोक्ता को सेवा संयोजन प्रदान करने हेतु निर्धारित समय–सीमा दर्शायी गई है। कंडिका 4.64 के अनुसार उपरोक्त निर्धारित की गई समय–सीमाओं से विचलन कर सकेगा।यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित समय–सीमा के भीतर विद्युत प्रदाय करने में चूक करता हो तो अधिनियम की धारा 43 (3)के अंतर्गत अर्थदण्ड को भुगतान करना होगा। कंडिका 4.65 के अनुसार समूह प्रयोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आवासीय प्रयोजन हेतु किसी एकल बिंदु पर विद्युत प्रदाय को आपूर्ति प्राप्त करने की प्रात्रता होगी।

5. अध्याय 5 की कंडिका 5.3 के अनुसार उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में विद्युत प्रदाय का बिंदु (Point Of Supply) इस प्रकार स्थापित किया जायेगा कि वह मार्ग से दृष्टिगोचर हो तथा वहॉ आसानी से भी पहुंचा जा सके।

एक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत आवश्यक कंडिका 5.11 नये विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में सम्मिलित की गई जिसके अनुसार अनुज्ञप्तिधारी सदैव उसकी विद्युत प्रणाली के संधारण/रखरखाव से संबद्धउद्देश्यों या अन्य कारणों से भी विद्युत प्रदाय में ऐसी अवधि के लिए जोआवश्यक हो, को अस्थायी रूप से विच्छेदित करने हेतु अधिकृत होगा, जिसकेलिये उसके द्वारा उपभोक्ता को पूर्व सूचना दी जाएगी तथा ऐसा उपभोक्ता कोन्यूनतम असुविधा निमित्त होने के उद्देश्य से किया जाएगा।

6. विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 6 में कंडिका 6.1, 6.2 एवं 6.3 का अवलोकन करें, जिसमेंउपभोक्ता तथा सामान्य रूप से आम जनता की सुरक्षा के लिये भी यहआवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में तन्तुपथ प्रणाली की स्थापना (वायरिंगकार्य) **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010** तथा समय–समय पर यथासंशोधित एवं अन्य सुरक्षा नियमों केअनुरूप हो तथा तन्तुपथ स्थापना प्रणाली संबंधी कार्य को अनुज्ञप्तिधारक विद्युतठेकेदार द्वारा कार्यान्वित किया जाए। तन्तुपथ स्थापना में उपयोग की गईसामग्री भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों या इसके समतुल्य के अनुसार होगी।तन्तुपथ प्रणाली में उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्री, जहां लागू हो,आईएसआई चिन्हित होगी। जैसे ही उपभोक्ता की विद्युत स्थापना का कार्य सभीप्रकार से पूर्ण हो जाता है तथा उपभोक्ता के ठेकेदार द्वारा इसका परीक्षण करलिया जाता है, उपभोक्ता को उसके ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गयापरीक्षण–प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करना होगा। इस उद्देश्य हेतु उपभोक्ता द्वारा परीक्षण–प्रतिवदेन प्रारूप अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

पूर्व में जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 में सुरक्षा संबंधी नियम, भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अनुसार थे।

कंडिका 6.13 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि समस्त निम्नदाब स्थापनाएं जिनमें वोल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयोजित भार मूल संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो उनमें उचित क्षमता के संधारित्र (बंचंबपजवत) होना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊर्जा–कारक (पॉवर फेक्टर) 80 प्रतिशत से कम न हो। ऊर्जाकारक संतोषजनक न पाये जाने कि स्थिति में उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय–समय पर निश्चित किये गये अधिभार का भुगतान करना होगा। जब तक पर्याप्त क्षमता के संधारित्र (कैपेसिटर) की स्थापना नहीं कर दी जाती है, किसी भी संयोजन को स्थातिप नहीं किया जा सकेगा।

कंडिका 6.16 के अनुसार कोई निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संबंध में स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) मे ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है तथाजो पूर्व में निर्दिष्टानुसार निम्नदाब संधारित्र (कैपेसीटर) स्थापित नहीं करता हैअथवा इन संधारित्रों (कैपेसीटरों) को चालू स्थिति में संधारित नहीं करता है,उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे समय–समय पर जारीविद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में निर्दिष्ट किया जाए। कोई निम्नदाब उपभोक्ता,जिसके प्रकरण मे, स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा–कारक (पावरफेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य विद्यमान है, परन्तु समुचित संधारित्रों (कैपेसीटरों) केस्थापित किये जाने पर भी मापयन्त्र में किये गये अभिलेख अनुसार विनिर्दिष्टसीमाओं के अन्तर्गत ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) संधारित नहीं करता है उसेएक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मापयन्त्र (मीटर) द्वाराअभिलिखित किया गया हो तथा जैसा कि इसे समय–समय पर जारी टैरिफआदेश में निर्दिष्ट किया जाए।

कंडिका 6.44 में हारमोनिक्स (Harmonics)में यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह पता चलता है तथा उपभोक्ता को यह प्रमाणित करता है कि उपभोक्ता की प्रणाली से हारमोनिक्स उत्पादित हो रहे हैं तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उचित क्षमता के हारमोनिक छानक (फिल्टर) लगाने हेतु निर्देश देगा। उपभोक्ता को ऐसे छानक (फिल्टर) छः माह की अवधि में स्थापित करने होंगे, जिसका परिपालन न किये जाने पर संयोजन के विच्छेदनके साथ–साथ आयोग के निर्णयानुसार अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता पर अर्थदण्ड भीआरोपित किया जा सकेगा।

कंडिका 6.18 के अनुसार उच्चदाब उपभोक्ता/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 के उपबन्धों के अनुसार सुरक्षात्मक उपाय (Protections) स्थापित करने होंगे।

7 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के अध्याय 7 की कंडिका 7.2 में निम्नदाब संयोजन जो मांग आधारित विद्युत दर (टैरिफ) से युक्त हो के प्रकरण में वितरण

कंपनी को दोनों संयोजित भारतीय संविदा मांग का उल्लेख अनुबंध में कराना अनिवार्य होगा।

कंडिका 7.3 के अनुसार विद्युत भार में वृद्धि के लिए आवेदन दो प्रतियों में तथा निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञप्तिधरी के कार्यालय में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009, में विनिर्दिष्ट पंजीकरण शुल्क की राशि के साथ जमा किये जाएंगे।

कंडिका 7.8 के अनुसारऐसे प्रकरण में जहॉ उपभोक्ता इस संहिता में विनिर्दिष्ट की गई अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से भी अधिक संविदा मांग में वृद्धि करने का इच्छुक हो तो उसे उच्चतर वोल्टेज स्तर के लिए अंतरण करना होगा या फिर यदि वह उच्चतर वोल्टेज में अन्तरण विद्यमान संविदा मांग के अंतर्गत जो उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं की अर्हता रखता हो, की प्राप्ति का इच्छुक हो तो उसे मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम 2009 में निर्दिष्ट उक्त उच्चतर वोल्टेज के अंतर्गत उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु योग्य विद्युत उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।

उदाहरण के लिए यदि कोई उच्च दाब उपभोक्ता 11 के.व्ही. से 33 के.व्ही. पर अंतरण चाहता है और संविदा मांग 200 के.व्ही.ए. थी जिसे अपरिवर्तित रखता है तो भी उसे 200 के.व्ही.ए. के लिए विद्युत उपलब्धता प्रभारों (Supply Affording Charges) को जमा करना होगा।

कंडिका 7.10 के अनुसार यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के दौरान संविदा मांग में एक ही बार कमी को अनुज्ञेय किया जा सकेगा। जबकि पूर्व में जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में अनुबंध के प्रारभिक अवधि के प्रथम छःमाह के अंदर ही संविदा मांग में कमी की अनुमति दी गई थी।

कंडिका 7.14 के अनुसार जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संविदा मांग में कमी किये जाने को स्वीकृति प्रदाय कर दी जाती है, तो उपभोक्ता द्वारा एक अनुपूरक अनुबंध (Supplementary Agreement) का निष्पादन किया जाएगा। संविदा मांग में कमी किये जाने संबंधी प्रभाव को अनुबंध को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात उपभोक्ता को अंतरित कर दिया जाएगां

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में संविदा मांग को पुनः चरणबद्ध/अपुसूचीबद्ध करने के संबंध में नई कंडिकाएं जोडी गई है। कंडिका 7.30 के अनुसार यदि

उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग के बारे में अनुबंध का निष्पादन चरणबद्ध रूप से किया गया हो तो तथा संविदा मांग को पुनः चरणबद्ध/अनुसूचीबद्ध करने का इच्छुक हो, तो इसके लिए उपभोक्ता को अनुमति प्रदान की जा सकती है परंतु संविदा मांग के इस प्रकार के पुनः चरणबद्ध/अनुसूचीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप संविदा मांग कमी नहीं की जा सकेगी।

कंडिका 7.31 के अनुसार उपभोकता को पुनरीक्षित वांछित संविदा मांग की प्रस्तावित प्रारंभिक तिथि से कम से कम एक माह पूर्व इस प्रकार की पुनः चरणबद्धता/अनुसूचीबद्धता के लिए आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 में संयोजनों का संविलियन/एकीकरण करने के संबंध में नई कंडिकाएं जोडी गई है। कंडिका 7.32 के अनुसार उपभोक्ता को उपरोक्त सुविधा अनुबंध की प्रारंभिक अवधि के दौरान केवल एक बार ही अनुज्ञेय की जाएगी।

कंडिका 7.33 के अनुसार ऐसे प्रकरणों में जहॉ उपभोक्ता संस्पर्शी भूमि (ब्वदजपहनवने स्ंदक) पर विद्यमान पृथक संयोजनों के संविलयन के लिए विकल्प प्रस्तुत करता हो तथा निम्न निबन्धनों तथा शर्तों की भी तृष्टि करता हो, तो उसे वांछित अभिलेखों के प्रस्तुत करने के उपरांत इस संबंध में नवीन अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद ऐसा किये जाने की अनुमति इन शर्त के अंतर्गत प्रदान की जा सकेगी क संविदा मांग खंण्ड 3.4 के अंतर्गत दर्शाई गई एक विशिष्ट वोल्टेज के अध्यधीन निर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक न होगी।

(अ) जो एक स्थापना तथा पदाधिकारी (staff) धारित करते हों
(ब) जो एक ही व्यक्ति/कंपनी के स्वामित्व अथवा पट्टे पर स्थित हों
(स) किसी प्रयोज्य कानून/संविधि के अंतर्गत एकल अनुज्ञप्ति/पंजीकरणके अंतर्गत आते हो तथा
(द) जिनका संविलियन के बाद विद्युत प्रदाय का एक सांझा बिंदु हो जो एक ही स्थान पर स्थित हो तथा
(इ) इनमें से किसी भी विद्यमान संयोजन के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान लंबित न हो।

8 कंडिका 8.6 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नवीन विद्युत संयोजन प्रदान करते समयअथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य समय पर भी मापयन्त्र (मीटर), मापयन्त्रउपकरण (MeteringEquipment) एवं कट–आऊट/एमसीबी/सीबी/भार–नियन्त्रक (Load-Limiter) उपलब्ध कराये जायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारामापयन्त्र तथा मापयन्त्र उपकरणों को सही कार्यस्थिति में रखा जाएगा औरउपभोक्ता द्वारा इनके मासिक किराये का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामकआयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोगकिये गये संयन्त्र

हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम),विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

कंडिका 8.19 के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अपने मापयन्त्र (मीटर) का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला के बजाय किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में उसके स्वयं के व्यय पर कराने का इच्छुक हो तो वह ऐसा आयागे द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला में आवश्यक प्रभारों के भुगतान द्वारा कर सकेगा।

अयोग से अनुमोदित सूची प्रयोग शालाओं की प्राप्त कर, सूचित किया जायेगा। कंडिका 8.22 के अनुसार उक्त माह के दौरान, जब मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरण(Meter/Metering Equipment)शहरी क्षेत्र में 15 दिवस से अधिक अवधि तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस से अधिक की अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण अवस्था में रहते हों, तो मापयंत्र/मापयन्त्र उपकरणों के प्रति कोई भी मापयन्त्र प्रभार (Metering Charges) देय न होंगे।

कंडिका 8.31 के अनुसार यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत संयोजन किसी माह के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता हो तो प्रथम देयक माह के अन्तर्गत स्थाई प्रभार (Fixed Charges) वास्तविक आधार पर प्रभारित किये जाएंगे। तथापि, अन्य प्रभार, जैसे कि न्यूनतम प्रभार आदि की राशि की गणना माह के दौरान विद्युत प्रदाय की गई वास्तविक दिवस संख्या के आधार पर आनुपातिक दर पर की जाएगी। दर्जकी गई विद्यतु खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, आनुपातिक दर पर प्रभारित किया जाएगा। इस कण्डिका के प्रयोजन से माह की अवधि की गणना 30 दिवस के रूप में की जाएगी।

पूर्व में स्थाई प्रभार भी अनुपातिक दर पर बिलिंग किया जाना था।

कंडिका 8.33 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (udit) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता। जहां कहीं मापयन्त्र वाचन उपकरण (Meter Reading Instruments-MRI) डाउनलोड सुविधा उपलब्ध कराई गई हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त संयोजनों के मापयन्त्र वाचन उपकरण के माध्यम से मासिक मापयन्त्र वाचन प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास किये जाएंगे।

9 अध्याय 9 की कंडिका 9.5 के अनुसार देयक से संबंधित चेक राशि की वसूली न होने पर, अनुज्ञप्तिधारी को विधि के अनुसार कथित उपभोक्ता के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने के अलावामध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार अनादरित चेक (Dishonoured Cheque) से संबंधित प्रभारों की वसूली का भी अधिकार होगा।

10 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 अध्याय 10 की कंडिका 10.2.2 में संशोधन करते हुए, किसी नियमित मीटरीकृत संयोजन के प्रकरण में, जहां विद्युत की चोरी होने का प्रकरण पाया गया हो, विद्युत की चोरी का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा :–

(प) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी/प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना न पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत/वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, पूर्व में बिल की गई खपत को विधिवत समायोजित करते हुए, अवशेष खपत का देयक विद्युत–दर (टैरिफ) से दुगुनी दर पर तैयार किया जाएगा।

(पप) ऐसे प्रकरण में जहां श्रेणी/प्रयोजन में परिवर्तन किया जाना पाया गया हो तथा आकलित खपत न्यूनतम खपत/वास्तविक अभिलेखित खपत से अधिक हो, वहां प्रथमतः सामान्य विद्युत–दर से दुगुनी दर पर देयक तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् पूर्व में भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।

(पपप) शासन द्वारा अधिरोपित शुल्क (duty) तथा उपकर (cess) या अन्य किसी प्रयोज्य प्रभारो/करों का देयक सामान्य दर पर समस्त आंकलित यूनिटों पर इस मद के अन्तर्गत पूर्व में बिल की गई राशि का यथोचित समायोजन करते हुए तैयार किया जाएगा।

(पअ) विद्युत चोरी के आंकलन के बारे में उपरोक्त किये गये प्रावधान के अलावा, टैरिफ आदेश में प्रावधान किये गये अर्थदण्ड जो ऐसे आंकलन के बारे में देय हों, को भी अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, चोरी के संबंध में आंकलित खपत पर प्रोत्साहन के कारण किसी वृद्धि को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

11 विद्युत प्रदाय संहिता 2013के अध्याय 11 की कंडिका 11.2 में भी आवयक संशोधन किया गया है। विशेष आकास्मिक परिस्थितियॉ की सुविधा के बारे में जिसका उपभोक्ता द्वारा लाभ उठाया जायेगा, की संख्या के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु उसकी कालावधि ऐसे समस्त अवसरों के लिए अधिकतम कुल 6 माह के अधीन होगी।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 11.5 फ्रेंचाईजी प्राधिकृति से संबंधित है में आवश्यक संशोधन करते हुये अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, अनुज्ञप्तिधारी अपने विद्यतु प्रदाय के क्षेत्र केकिसी भी भाग में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिएकिसी व्यावसायिक प्रतिनिधि (फ्रेंचायज़ी) को प्राधिकृत कर सकेगा।

तथापि,उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय देयक, केवल अनुज्ञप्तिधारी के नाम से तथास्वत्वाधिकार (title) के अन्तर्गत जारी किये जाएंगे।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 11.6 जो अन्य संहिताओं से संबंधित है में आवश्यक संशोधन करते हुये उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि नवीन भवनों, संरचनाओं, तथाअतिरिक्त निर्माण कार्य, सुधार कार्य और अन्य निर्माण परियोजनाओं की, अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान विद्युत प्रदाय तन्तुपथों (supply lines) से न्यूनतम दूरी बनायी रखी जाये। इन न्यूनतम दूरियों के मानदण्ड केन्द्रीय प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत प्रदाय संबंधी उपाय) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 11.12 जो अन्य संहिताओं से संबंधित है में आवश्यक संशोधन करते हुये इस संहिता में निहित शर्तों को, वर्तमान में प्रचलित एवं समय–समयपर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), केन्द्रीय विद्युतप्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010 तथामध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) तथा इनकेअन्तगर्त बनाये गये नियमों तथा तत्समय प्रचलित अन्य किसी विधि के प्रावधानोंके अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा एवं समझा जाएगा। इस संहिता में निहित कोईशर्त अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता के, केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम याउसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को कम याप्रभावित नहीं करेगी।

विद्युत प्रदाय संहिता, 2013के अध्याय 11 के निरसन तथा व्यावृत्ति (Repeal and Savings) में 11.16 से 11.19 को सम्मिलित किया गया है जो निम्नानुसर है :–

11.16 संहिता नामत ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (जी–1, वर्ष 2004)'' जो मप्र राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 16.4.2004 द्वारा संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह संहिता की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

11.17 इस संहिता की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

11.18 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग, को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता में, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इस संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में

और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

11.19 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

12 कृपया मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 में किये गये आवश्यक संशोधनों को उपरोक्त विवरण में दर्शाया गया है तथापि यह आवश्यक होगा कि विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 का ध्यानपूर्वक अध्यन करें एवं इसमें निहित प्रावधानों के अनुरूप सभी विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। आवश्यक संशोधनों को वितरण केंद्र स्तर तक पहुॅचाया जाना भी सुनिश्चित करें

निदेशक (वाणिज्य)